न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर ए एस
अनवान वाद पत्र प्रकरण :— प्रकाश बनाम श्योपत राम आदि
अन्तर्गत धारा:—88, 188 आरटीए
प्रकरण संख्या 07/2024

आदेश प्रार्थना पत्र
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीपी के तहत अधिवक्ता प्रतिवादी श्री कुलदीप सिंह धालीवाल के द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 6 की ओर से प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है— यह कि वादी की ओर से उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध चक 34 एल. एल. डब्ल्यू के प. न. 27/221 के किला न. 13 ता 18, 23 ता 25 की 2.277 हैक्टर भूमि को केसराराम के नाम होना व केसराराम द्वारा दिनांक 31.12.2021 को निष्पादित किये गये पजीकृत दानपत्र को विधिविरूद्ध होना व केसराराम पर प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का असम्यक प्रभाव होना तथा केसराम द्वारा उक्त दान पत्र स्वैच्छापूर्वक दान नही किया गया होना एवं केसराराम का दमे के रोग से पीडित होने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी सं. 4 ता 6 द्वारा दान पत्र प्रतिवादी सं. 4 व 5 के पक्ष मे लिखवाये हुये होने का कथन करते हुये घोषणा एवं व्यादेश हेतू दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद मे वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के रूप मे अपने पिता श्योपतराम व प्रतिवादी सं. 7 के रूप मे कलावती तथा प्रतिवादी सं. 8 के रूप मे मैना और प्रतिवादी सं. 10 व 11 के रूप मे छिन्दो व सुरेंन्द्र के रूप मे एवं प्रतिवादी सं. 12 के रूप मे मुर्ति देवी को पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे प्रमिवादी सं. 9 के रूप मे सोहनलाल पुत्र केसराराम जाति भाट निवासी गोलूवाला सिहागान को पक्षकार बनाया गया है। वादी की ओर से हस्तगत वाद मे संयोजित किये गये पक्षकार प्रतिवादी सं. 1, 7, 8, 10, 11, 12 व प्रतिवादी सं. 9 सोहनलाल के वारिसान उनकी पत्नी बन्तो देवी व विनोद की ओर से सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा के समक्ष एक सिविल वाद अनवान श्योपतराम आदि बनाम केसराराम आदि केसराराम द्वारा निष्पादित प्रश्नगत भूमि के दान पत्र दिनांक 31.12.2021 जो उपपंजीयक पीलीबंगा से पजीकृत है को केसराराम पर असम्यक प्रभाव होने के कारण उसे निष्पादित करवाया गया होने के आधार पर उसे अवैध व शुन्य किया जाने हेतू सिविल बाद प्रकरण सं. 102/2023 प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे प्रतिवादी सं. 9 सोहनलाल के वारिसान भी वादी सं. 6 व 7 के रूप मे तथा प्रतिवादी सं. 13 ता 15 के रूप मे पक्षकार सयोजित है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद मे चुनौतिधीन दस्तावेज दानपत्र दिनांक 31.12.2021 जिसको केसराराम द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 31.12.2021 को रोबरू गवाहान निष्पादित किया जाकर उसे पजीकृत करवाया गया व उक्त दस्तावेज के अनुसरण मे प्रश्नगत भूमि का अधिपत्य प्रतिवादी सं. 4 व 5 को सुपूर्द किया गया जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 4 व 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड इन्तकाल सं. 780 दिनांक 03.01.2023 के जरिये दर्ज हो चूकी है। वादी की ओर से जिस पजीकृत दस्तावेज दानपत्र दिनांक 31.12.2021 को जिन आधारो पर चुनौति देते हुये हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है उस दस्तावेज को उन्ही आधारो पर चुनौति देते हुये वादी के पिता श्योपतराम की ओर से हस्तगत वाद से पूर्व सिविल वाद प्रस्तुत किया गया होने से वाद वादी श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही होने से तथा वादी उक्त सिविल वाद के विचाराधीन रहते प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे पजीकृत दस्तावेज के प्रभावी रहते हस्तगत

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

लाने का किसी भी रूप मे अधिकारी नही है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद विधि वर्जित है से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी की ओर से वाद विधिवर्जित होने से खारिज किये जाने की कृपा की जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी/वादी की ओर यह कि प्रार्थना पत्र कर दफा 1 में वर्णित यह तथ्य कि उपरोक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वक 34 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 27/221 की 2.277 हैक. भूमि को केसाराराम के नाम होना, केसाराराम द्वारा दिनांक 31.12.2021 को निष्पादित किये गये पंजीकृत दान पत्र का विधि विरूद्ध होना, केसाराराम पर प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 का असम्यक प्रभाव होना तथा केसाराराम द्वारा उक्त दान पत्र स्वेच्छापूर्वक दान नही किया गया होना, केसाराराम का दमे रोग से पीडित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 द्वारा दान पत्र प्रतिवादी सं. 4, 5 के पक्ष में लिखवाये हुए होने का कथन करते हुए घोषणा एवं व्यादेश हेतू दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तुत किया होना के तथ्य स्वीकार है साथ ही यह तथ्य भी स्वीकार है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं. 1 के रूप में अपने पिता श्योपतराम, प्रतिवादी सं.7 के रूप में कलावती, प्रतिवादी सं.8 के रूप में मैना, प्रतिवादी सं. 10 व 11 के रूप में छिन्दो व सुरेन्द्र, प्रतिवादी सं. 12 के रूप में मूर्ति देवी को व प्रतिवादी सं. 9 के रूप में सोहनलाल को पक्षकार बनाया गया है शेष तथ्य लाईलमी होने के कारण अस्वीकार है। वादी अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 श्योपतराम से अलग निवास करता है। दावा में वर्णित प्रश्नगत भूमि दादा केसाराराम को अपने पिता रामचन्द्र से विरासतन प्राप्त हुई थी तथा यह वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है तथा वादी द्वारा इस पैतृक सम्पति में अपने हक व हिस्सा की घोषणा प्राप्त करने हेतू उक्त अनवान का दाव प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र में वर्णित यह तथ्य कि इन्ही आधारो को चुनौती देते हुए वादी के पिता प्रतिवादी सं.1 श्योपतराम द्वारा सिविल न्यायालय में एक दावा प्रकरण सं. 102/2023 प्रस्तुत किया गया है कि जानकारी वादी को नही है क्योंकि वादी उक्त दावा में पक्षकार नही है। प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 श्योपतराम द्वारा सिविल न्यायालय में जो दावा प्रस्तुत किया गया है उक्त दावा दादा केसाराराम द्वारा निष्पादित दान पत्र को अवैध व शुन्य घोषित करवाने हेतू प्रस्तुत किया है तथा वादी ने जो दावा प्रस्तुत किया है वह पैतृक सम्पति में अपने हिस्से की घोषणा प्राप्त करने हेतू प्रस्तुत किया है। रा.का.अधि. की धारा 207 के तहत घोषणा के दावे सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही होने से तथा वादी उक्त सिविल वाद के विचाराधीन रहते प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध मे पजीकृत दस्तावेज के प्रभावी रहते हस्तगत वाद लाने का किसी भी रूप मे अधिकारी नही है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद विधि वर्जित होने से खारिज किये किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि वादी द्वारा अपने हक्क व हिस्सा की पैतृक सम्पति में अपने हिस्से की घोषणा प्राप्त करने हेतू प्रस्तुत किया है। रा.का.अधि. की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

207 के तहत घोषणा के दावे सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र में वर्णित प्रश्नगत रकबा जिसमें दस्तावेज दानपत्र दिनांक 31.12.2021 जिसको केसराराम द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 31.12.2021 को रोबरू गवाहान निष्पादित किया जाकर उसे पजीकृत करवाया गया जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है जिसके संबंध में अपील वादी द्वारा सिविल न्यायालय में अपील दायर होना बताया है चुंकि दस्तावेज दानपत्र के वाद मा. सिविल न्यायालय जैरकार है के निर्णय से पूर्व वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है इस लिए दानपत्र घोषणात्मक वाद है इस स्तर पर वाद कारण हासिल साबित नहीं होने के कारण खारिज योग्य है इस लिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 23/3/26 सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा